

22-03-18

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली करते निर्णय पत्रा हुई। वकील देसा. का कथन है कि शा.पं. मामजोली द्वारा जारी पट्टे के विरुद्ध देसा. ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स.मा. के न्यायालय में निगरानी पत्र की थी निगरानी अर्ची नल्लय न्यायालय द्वारा स्वीकार की है। उक्त निगरानी के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में लाई नहीं करती है। विद्वान वकील अपी. का तर्क है कि उक्त अपील सहक से पत्रा हो गई है। ऐली लिपि देसा. का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः देसा. का शा.पत्र क्षेत्राधिकार आपत्ती स्वीकार किया जाता है। अपील क्षेत्राधिकार बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली के सल शुमार होकर कोद तकमिल जाबता काबिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर